

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



Bihar State Power Transmission Company Limited
(निबंधित कार्यालय:-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889
Website:www.bsptcl.bih.inc.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

कार्यालय आदेश संख्या:- 487

पटना, दिनांक:- 13/09/2024

T-IV/Misc/Store-8227/2020

विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण अंचलीय भंडार, बोधगया के पत्रांक-81 दिनांक-27.05.2024 द्वारा श्री अभिजीत मोहंती, वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, दरभंगा (प्रतिनियुक्त संचरण अंचलीय भंडार, गया/बोधगया, सेवानिवृत्ति तिथि-31.10.2024) के सेवानिवृत्त होने की स्थिति को देखते हुए संचरण अंचलीय भंडार, बोधगया में रखे 1421 प्रकार के भंडार सामग्रियों का प्रभार किसी अन्य भंडारकर्मी को हस्तांतरित करने हेतु उक्त भंडार में एक भंडार कर्मी के पदस्थापन का अनुरोध किया गया था।

कंपनी मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-413 दिनांक-01.08.2024 द्वारा श्री अशोक, वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ को अपने कार्यों के अतिरिक्त संचरण अंचलीय भंडार, गया (बोधगया) का अतिरिक्त प्रभार का आदेश निर्गत किया गया। तदनुसार श्री अशोक को अविलम्ब उक्त आदेश का अनुपालन करना चाहिए था, परन्तु कार्यालय आदेश संख्या-413 दिनांक-01.08.2024 का अनुपालन श्री अशोक द्वारा दिनांक-30.08.2024 तक नहीं किया गया।

श्री अशोक का उक्त आचरण पूर्ववर्ती बोर्ड के Certified Standing Order की कंडिका 29 B (a) एवं (j) के तहत उच्चाधिकारियों के आदेशोल्लंघन एवं सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाता है। फलस्वरूप उक्त आरोप के लिए सक्षम प्रधिकार द्वारा श्री अशोक, तदेन वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कंपनी के कार्यालय आदेश संख्या-480 दिनांक-10.09.2024 द्वारा श्री अशोक को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि का मुख्यालय संचरण जोन, पटना निर्धारित किया गया।

तदनुसार, श्री अशोक के विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री सुनील कुमार झा, उप विकास आयुक्त (सेवानिवृत्त), मुजफ्फरपुर, 26 ए०एन० पथ, नार्थ एस० के० पूरी, बोरिंग रोड, पटना-800013 (मोबाईल नं०-94313647512/8340269959; Email ID-sunilkumarjha28@gmail.com) को जाँच पदाधिकारी एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-IV, संचरण कंपनी मुख्यालय, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है।

साथ ही, श्री अशोक, वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ (सम्प्रति निलंबित) को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के साथ संलग्न आरोप-पत्र में वर्णित आरोप के संबंध में अपना लिखित बयान एक पखवारा के अंदर जाँच पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सूचित करें कि उक्त विभागीय कार्यवाही में वे अपना पक्ष स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यदि वे अपने बचाव में कोई साक्ष्य या गवाह भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसकी सूचना भी जाँच पदाधिकारी को दें।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति इसके अनुलग्नक की हस्ताक्षरित प्रति के साथ श्री अशोक (Emp Id-E06285), वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ (सम्प्रति निलंबित) को अग्रसारित किया जाय।

आदेश से,

ह०/-

(दीपक कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव

(क०पृ०उ०)

ज्ञापांक- 2375

पटना, दिनांक- 13/09/2024

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/प्रबंध निदेशक के विशेष कार
पदाधिकारी/उपमहाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/अवर सचिव/डी.बी.ए/प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर
ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. डी.बी.ए से अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कराने की
कृपा की जाय।

13.9.24
अवर सचिव

Ru
13.09.24